CONTENTS

1. Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983 21

2. The Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Removal of Difficulties) order, 1984 41

3. Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Rules, 1991 (As amended up to 1993) 48

4. G.O. regarding imposition of U.P. Government Rules. 53

5. Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment) ACT, 2007 54

6. Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (Amendment)ACT, 2009 58

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983

(संख्या 2906/सत्रह-वि०-1-1 (क)-29-82

लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1983 आश्विन 21, 1905 शक सम्वत्

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पर दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की ओर उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) धारा 4 और 18 तुरन्त प्रवृत्त होंगी और अधिनियम के शेष उपबन्ध 18 अक्टूबर, 1982 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

परिभाषायें

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,--

(क) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है ;

(ख) "निधि" का तात्पर्य धारा 24 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि से है ;

(ग) "शासी निकाय" का तात्पर्य धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय से है ;

(घ) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य संस्थान के सदस्य से है ;

(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 11 में निर्दिष्ट संस्थान के अध्यक्ष से है ;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा बनाये गये विनियम से है ;

(ज) "नियम" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम से है ;

(झ) "अध्यापक" के अन्तर्गत आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण या शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है।

संस्थान की स्थापना

3-- (1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, लखनऊ में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ कहा जायेगा।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

संस्थान की रचना

4--(1) संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्,--

(क) मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(ख) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पदेन;

(ग) चिकित्सा शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग, पदेन;

(च) सात व्यक्ति जो समाज विज्ञान के, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में निरत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छ) राज्य विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के तीन प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) राज्य विधान मण्डल के तीन सदस्य, जिनमें से दो विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, और एक विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किये जायेंगे;

(झ) संसद का एक सदस्य, उनमें से जो उत्तर प्रदेश से राज्य सभा या लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ञ) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) दो प्रख्यात शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ड) संस्थान के संकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिये संस्थान के अध्यापकों में से चार व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है।

संस्थान की स्थापना

3-- (1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, लखनऊ में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ कहा जायेगा।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

संस्थान की रचना

4--(1) संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्,--

(क) मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(ख) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पदेन;

(ग) चिकित्सा शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
वित्त विभाग, पदेन;

(च) सात व्यक्ति जो समाज विज्ञान के, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में निरत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छ) राज्य विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों के तीन प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) राज्य विधान मण्डल के तीन सदस्य, जिनमें से दो विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, और एक विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किये जायेंगे;

(झ) संसद का एक सदस्य, उनमें से जो उत्तर प्रदेश से राज्य सभा या लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ञ) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) दो प्रख्यात शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ड) संस्थान के संकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिये संस्थान के अध्यापकों में से चार व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन सात व्यक्तियों मे से पांच व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत चार चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, राज्य सरकार द्वारा एक ऐसे पैनल में से जिसे निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति द्वारा बनाया जायेगा, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे:-

(एक) निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ;

(दो) प्रेसिडेन्ट, नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज ;

(तीन) प्रेसिडेन्ट, इंडियन अकादमी आफ साइन्सेज, बंगलौर ;

(चार) प्रेसिडेन्ट, नेशनल अकादमी आफ साइन्सेज, इलाहाबाद ;

(पांच) प्रेसिडेन्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ;

(छः) किसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(सात) महानिदेशक, कौंसिल आफ साइन्टीफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च, या उसका नामांकिती;

(आठ) निदेशक, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च;

(नौ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (संयोजक)।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति द्वारा बनाये गये पैनल में कम से कम पन्द्रह व्यक्ति होंगे जिनमें से कम से कम आठ व्यक्ति चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे और प्रति दो वर्ष में पैनल का पुनरीक्षण किया जायेगा।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां

5--(1) जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है उसके सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष होगी।

(2) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन निर्वाचित या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी जैसे ही वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल के सदन का जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य या संसद का सदस्य न रह जाय।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किये रहे।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी।

(5) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन निर्वाचित या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न कोई बहिर्गामी सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।

(6) बहिर्गामी सदस्य पुनः नाम-निर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(7) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित और स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्यागपत्र उस सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(8) सदस्यों की रिक्तियों की पूर्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

संस्थान की बैठक

6--संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे, और ऐसी बैठकों में कार्य सम्पादन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जैसी विनिमयों में निर्धारित की जाय।

परन्तु संस्थान की प्रति वर्ष कम से कम एक बैठक होगी:

परन्तु यह और कि संस्थान अपनी प्रथम बैठक में कार्य सम्पादन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

संस्थान के उद्देश्य

7--संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे- -

(क) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान अतिविशिष्ट विषयों के लिये और ऐसे अन्य विषयों के लिये जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और उच्च स्तर की शोध सुविधाओं की जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिये एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना ;

(ख) अतिविशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के प्रतिरूपों का विकास करना जिससे चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित हो सके ;

(ग) पैरा मेडिकल और सम्बद्ध क्षेत्रों में, विशेष रूप से अतिविशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

संस्थान के कृत्य

8--धारा 7 में निर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिये संस्थान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, - -

(क) परामर्श अस्पताल के रूप में कार्य करेगा;

(ख) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और अन्य सजातीय विज्ञान की सुसंगत शाखाओं में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का अन्तर्विषयक शिक्षण भी है;

(ग) चिकित्सा शास्त्र की नई प्रणाली का प्रयोग इस उद्देश्य से कर सकेगा कि उसके शिक्षण का सन्तोषजनक मानक प्राप्त किया जा सके;

(घ) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित कर सकेगा ;

(ङ) चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण कर सकेगा ;

(च) स्नातकोत्तर चिकित्सा शास्त्र की परीक्षायें ले सकेगा और ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टता और पदवी प्रदान कर सकेगा, जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय ;

(छ) सरकार के अनुदान और, यथास्थिति, दानी व्यक्तियों, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ता या हस्तान्तरणकर्ता के दान, संदान, उपकृति, वसीयत और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अन्तरण स्वीकार कर सकेगा ;

(ज) जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से कर सकेगा जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिये आवश्यक समझी जाय ;

(झ) ऐसी फीस की अपेक्षा कर सकेगा और उसे स्वीकार कर सकेगा, जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय ;

(ञ) चिकित्सा के क्षेत्र में शोध कार्य के संचालय और उच्च शिक्षा में अन्य संस्थाओं से सहयोग कर सकेगा ;

(ट) संस्था के कार्यकलाप के प्रशासन और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय कर सकेगा ;

(ठ) ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को, जो संस्था के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों, इस अधिनियम के अनुसार सेवायोजित करा सकेगा ;

(ड) ऐसे अन्य सभी कार्य कर सकेगा जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हों।

संस्थान के अधिकारी

9--संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् --

(क) कुलाध्यक्ष,
(ख) अध्यक्ष,
(ग) निदेशक,
(घ) संकायाध्यक्ष,
(ङ) वित्त अधिकारी,
(च) कार्यपालक कुल सचिव,
(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें नियमों में संस्थान का अधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय।

कुलाध्यक्ष

10--(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष, प्रति पांच वर्ष के पश्चात् संस्थान की प्रगति की समीक्षा ऐसी रीति से करायेंगे जिसे वह उचित समझे।

(3) संस्थान की प्रगति की समीक्षा करने पर कुलाध्यक्ष राज्य सरकार को धारा 34 के अधीन कार्यवाही करने के लिये निर्देश प्रेषित कर सकते हैं या, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे निदेश दे सकते हैं जो वह आवश्यक समझें, और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा संस्थान की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुकूल न हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश देने के पूर्व वे संस्थान से कारण बताने को कहेंगे कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाय और यदि कोई कारण ऐसे युक्तिसंगत समय के भीतर दर्शित किया जाये जिसकी अनुमति इस निमित्त दी गई हो तो वह उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष

11--(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की, जब उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा और उसकी शक्ति और उसके कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्--

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यों का प्रशासन इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है और इस उद्देश्य की अभिपूर्ति के लिये ऐसे कदम उठाना, जिसे वह आवश्यक समझें ;

(ख) संस्थान के कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचनायें या अभिलेख प्राप्त करना, जिसे वह उचित समझें ;

(ग) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के द्वारा उन्हें सौंपे जायें या जो नियमों द्वारा विहित किये जाय या विनियमों में निर्धारित किये जाय।

निदेशक

12--(1) संस्थान का एक निदेशक होगा जो एक समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, की संस्तुति पर कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्--

(क) संस्थान का अध्यक्ष ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति के सलाहकार के रूप में दो चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) जब कभी निदेशक का पद रिक्त हो या होने की संभावना हो, तब उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति तीन व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगी जो उसकी राय में उक्त पद धारण करने के लिये उपयुक्त हो।

(4) समिति जो पैनल तैयार करेगी उसे एक संक्षिप्त विवरण सहित जिसमें उस पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता और अन्य विशिष्टतायें अंकित की जायेगी, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, किन्तु कोई अधिमान-क्रम इंगित नहीं करेगी।

(5) कुलाध्यक्ष उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये गये पैनल में से निदेशक की नियुक्ति करेंगे।

(6) उपधारा (1) से (5) में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान का प्रथम निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तब तक के लिए पद धारण करेगा जब तक कि उपधारा (1) से (5) के अनुसार निदेशक नियुक्त न कर दिया जाय।

(7) जहां निदेशक के पद में कोई रिक्ति हो और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो या कोई अन्य आपातिक स्थिति हो, वहां कुलाध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकते हैं और इस उपधारा के अधीन नियुक्ति के कार्यकाल को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति का सम्पूर्ण कार्यकाल, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत कार्यकाल भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

(8) निदेशक की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे अनुमन्य वेतन, भत्ता, छुट्टी, पेंशन और भविष्य निधि भी हैं, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाये, और जब तक इस प्रकार विहित न की जाये तब तक जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य

13--(1) निदेशक शासी निकाय का उप सभापति होगा और संस्थान का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; निदेशक--

(क) संस्थान के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में शिक्षा देने और अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) जहां कोई मामला अविलम्बनीय प्रकार का हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त संस्थान के किसी अधिकारी, या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, वहां निदेशक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कुलाध्यक्ष और उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी तत्काल देगा जो सामान्य-क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि निदेशक द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो निदेशक द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेंगे या उसे निष्प्रभावी कर सकेंगे, या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेंगे जिसे वह उचित समझें, और तदुपरान्त वह, यथास्थिति प्रभावी न रह जायेगा या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से, जैसा कि अन्तिम पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट है, निदेशक के आदेश के द्वारा या अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) जहां निदेशक द्वारा उपधारा (3) के अधीन शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, वहां ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की जाने पर या निदेशक के आदेश के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, समाप्त की जायेगी।

(5) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान या अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

संकायाध्यक्ष की नियुक्ति

14--(1) संस्थान का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संस्थान के आचार्यों में से शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) संकायाध्यक्ष संस्थान के शैक्षिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों में निर्धारित किये जायें।

वित्त अधिकारी

15--(1) संस्थान के लिये एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का, यदि कोई हो, भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी शासी निकाय के समक्ष बजट और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह--

(क) यह सुनिश्चित करे कि संस्थान द्वारा ऐसा कोई व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न हो;

(ख) किसी प्रस्तावित व्यय की अनुज्ञा न दे, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता है;

(ग) यह सुनिश्चित करे कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किसी अनियमितता को ठीक करने के लिये कार्यवाही की जाये;

(घ) यह सुनिश्चित करे कि संस्थान की सम्पत्ति और विनिधान का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(4) वित्त अधिकारी संस्थान के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हो।

(5) वित्त अधिकारी संस्थान की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(6) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(7) वित्त अधिकारी निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

कार्यपालक कुल सचिव

16--(1) कार्यपालक कुल सचिव संस्थान द्वारा ऐसी रीति से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित किये जाय, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्यपालक कुल सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्--

(क) वह संस्थान और शासी निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा;

(ख) वह संस्थान के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा;

(ग) वह संस्थान और शासी निकाय और संस्थान के प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करने के लिये आबद्ध होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों;

(घ) वह, निदेशक के नियंत्रण में रहते हुए, परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिये आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रकियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) कार्यपालक कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान, अध्यक्ष, निदेशक या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जाय।

(4) कार्यपालक कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

संस्थान के प्राधिकारी

17--संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्--

(क) शासी निकाय;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संस्थान के आचार्यों और विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये चयन समिति;

(ङ) खण्ड (घ) में जो अध्यापक विनिर्दिष्ट हैं उनसे भिन्न अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें नियमों में संस्थान का प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाये।

शासी निकाय

18--(1) शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्--

(क) अध्यक्ष;

(ख) निदेशक;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पदेन;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(ङ) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) उत्तर प्रदेश में राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से, बारी-बारी से, दो प्राचार्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(छ) संस्थान के विभागाध्यक्षों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से बारी-बारी से, किया जायेगा;

(ज) संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति जिनका चयन विहित रीति से किया जायेगा;

(झ) दो व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद धारण किये रहे जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य हैं।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (झ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि उस वर्ष की जिसमें उसका चयन किया जाय, पहली जनवरी से दो वर्ष होगी।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।

(7) शासी निकाय की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा सभापति समय-समय पर अवधारित करें:

परन्तु शासी निकाय की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

(8) शासी निकाय द्वारा किसी बैठक में या अन्य प्रकार से कार्य सम्पादन के लिये या अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय।

(9) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित समझे, गठन कर सकता है।

शासी निकाय के कृत्य

19--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शासी निकाय संस्थान के कार्यों के समान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय--

(क) संस्थान के कार्य-प्रशासन और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा और विद्या परिषद् की सलाह पर सभी शैक्षणिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि को धारण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये संस्थान के अधिकार में दी गई किसी निधि का प्रशासन करेगा;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकता है;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, कारबार और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबन्ध और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि, अंश (शेयर) या प्रतिभूतियों में जिसे वह समय-समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है;

(ञ) संस्थान से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित कर सकता है।

विद्या परिषद्

20--(1) एक विद्या परिषद् होगी जो संस्थान का मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(एक) निदेशक, जो परिषद् का सभापति भी होगा;

(दो) संस्थान का संकायाध्यक्ष जो परिषद् का सदस्य सचिव होगा;

(तीन) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(चार) एक व्यक्ति, जो भारत में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का निदेशक हो जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(पांच) संस्थान के विभागाध्यक्ष;

(छः) संस्थान के सह-आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से बारी-बारी से, किया जायेगा;

(सात) संस्थान के सहायक आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन विहित रीति से, बारी-बारी से किया जायेगा;

(आठ) तीन व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट संस्थान के सदस्यों में से दो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं, जिनका निर्वाचन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद्--

(क) संस्थान में शिक्षा और अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी;

(ख) शासी निकाय को सभी शैक्षणिक विषयों पर जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, सलाह दे सकेगी;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और ऐसे अन्य कर्तव्य से युक्त होगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर आरोपित किये जाय।

वित्त समिति

21--(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) निदेशक जो समिति का सभापति भी होगा;

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या उनका नामांकिती;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती;

(घ) दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन शासी निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से किया जावेगा;

(ङ) कार्यपालक कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति शासी निकाय को संस्थान की सम्पत्ति और निधि के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर जिसके अन्तर्गत और संस्थान की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आवर्तक और अनावर्तक व्यय की सीमा और उनके सम्बन्ध में पालन किये जाने वाले सिद्धान्त भी हैं, सलाह देगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो विहित किये जायें।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

22--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उतने आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और प्रथम वर्ग के अधिकारी, जितने आवश्यक हों, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और द्वितीय वर्ग के उतने अधिकारी जितने आवश्यक हों, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी रीति और पदनाम से और श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे जैसा विनियमों में निर्धारित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जैसी विनियमों में निर्धारित की जायें।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह विनियमों में इस निमित्त निर्धारित अर्हतायें पूरी न करता हो और, जैसा कि उपधारा (9) में उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित चयन समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिये संस्तुत न किया जाय।

(5) संस्थान के आचार्य या विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) निदेशक;

(ख) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(ग) तीन विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाये;

परन्तु आचार्य की नियुक्ति की स्थिति में, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी चयन समिति का सदस्य होगा।

(6) संस्थान के आचार्य या विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे--

(क) निदेशक;

(ख) चिकित्सा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(ग) विभागाध्यक्ष;

(घ) दो विशेषज्ञ जो कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जायें।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय या विनियमों में निर्धारित की जाय।

(8) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायगी जब तक कि उसे उपस्थित सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो:

परन्तु उपधारा (5) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति, और उपधारा (6) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति, आवश्यक होगी।

(9) जहां चयन समिति उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार संस्तुति करने में विफल रहे, वहां चयन समिति का कार्य-वृत्त अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसे अपने विचारों के साथ कुलाध्यक्ष को उसके विनिश्चय के लिये अग्रसारित करेगा और कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) जहां चयन समिति की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार न हो, वहां वह ऐसी संस्तुति के प्रति आपत्ति के आधार को सुस्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, सम्पूर्ण मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा, और कुलाध्यक्ष का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुन: विचार के लिये मामला चयन समिति को भेजे या मामले पर विचार करने के लिये दूसरी चयन समिति के गठित किये जाने की अपेक्षा करें।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये, प्रथम वर्ग के अधिकारी और द्वितीय वर्ग के अधिकारी ऐसे वर्ग के अधिकारी होंगे जैसा विनियमों में तदैव विनिर्दिष्ट या पदाभिहित किये जायें।

संस्थान को भुगतान

23--राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग किये जाने के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से संस्थान को देगी जैसी इस अधिनियम के अधीन उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जाये।

संस्थान की निधि

24--(1) संस्थान एक निधि रखेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी--

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि;

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि।

(2) निधि में जमा की गयी सभी धनराशि ऐसे बैंक में जमा की जायेगी या उसका विनिधान ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चत करें।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत धारा 8 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है।

संस्थान का बजट

25--(1) प्रतिवर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, एक बजट तैयार किया जायेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय दर्शित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) शासी निकाय ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें और बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जो बजट में स्वीकृत न हो या बजट की स्वीकृति के पश्चात् संस्थान को जो निधि राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य आभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो उसके सम्बन्ध में उस अनुदान की शर्तों के अनुसार न हो:

परन्तु आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय जो बजट में स्वीकृत न हो, निदेशक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्यय के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार को तुरन्त देगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

26--(1) संस्थान समुचित लेख और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक लेखा-विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, तैयार करायेगा।

(2) वार्षिक लेखा विवरण पत्र और तुलन-पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा-परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

27-संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट प्रति वर्ष तैयार करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

पेंशन और भविष्य निधि

28--(1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय, ऐसी पेंशन और भविष्य निधि को, जैसी वह उचित समझे, संस्थापित करेगा।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन या भविष्य निधि संस्थापित की गयी है, वहां राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

29--संस्थान के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण अध्यक्ष या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और अन्य सभी लिखतों का अधिप्रमाणीकरण निदेशक या इस निमित्त इसी प्रकार प्राधिकृत संस्थान के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

30--संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या गठित किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि संस्थान, शासी निकाय, प्राधिकारी या ऐसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

संस्थान द्वारा चिकित्सा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदान करना

31--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और पदवी प्रदान करने की शक्ति होगी।

संस्थान द्वारा प्रदत्त की गयी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता

32--भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गयी चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि और डिप्लोमा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सा सम्बन्धी अर्हता होगी।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

33--संस्थान ऐसे निदेशों को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत के हों, कार्यान्वित करेगा जो इस अधिनियम के अधीन संस्थान के कार्य-कलापों के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

संस्थान के कार्यकलाप का निरीक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति

34--(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और संस्थान द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना निदेशक के माध्यम से संस्थान को देगी और शासी निकाय द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार निदेशक को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सन्दर्भ में सम्बोधित करेगी और निदेशक शासी निकाय को राज्य सरकार का दृष्टिकोण और राज्य सरकार का उस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श संसूचित करेगा।

(5) तत्पश्चात् निदेशक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियत करे, शासी निकाय द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करें तो राज्य सरकार किसी स्पष्टीकरण पर जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी।

संस्थान और राज्य सरकार के बीच विवाद

35--यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में या उनके सम्बन्ध में संस्थान और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार का ऐसे विवाद पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

कुलाध्यक्ष को निर्देश

36--यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व-प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् निर्देश ग्रहण कर सकते हैं।

विवरणी और सूचना

37--संस्थान राज्य सरकार को ऐसे रिपोर्ट, विवरणी (रिटर्न), विवरण-पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय-समय पर करे।

अधिभार

38-(1) संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई सदस्य, या, यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

39--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि में, गजट में आदेश प्रकाशित करके, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुकूलन या उपान्तर, यदि कोई हो, भी है जिसके उसके सार पर कोई प्रभाव न हो और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

नियम बनाने की शक्ति

40--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

41--(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:-

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न बैठक बुलाना और करना और ऐसी बैठकों में कार्य-संचालन और गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) शासी निकाय या इस अधिनियम के अधीन गठित की जाने वाली किसी समिति या अन्य निकाय के गठन के सम्बन्ध में कोई विषय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य-संचालन, अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की, पदावधि, वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) शासी निकाय के सभापति और उप-सभापति की शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(झ) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ञ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टितायें और पदवी जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती है;

(ट) संस्थान के आचार्यों, विभागाध्यक्षों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, प्रथम वर्ग के अधिकारियों, द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के पदों और अन्य अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों के लिये अपेक्षित अर्हतायें भी हैं;

(ठ) फीस और अन्य परिव्यय, जिसकी संस्थान द्वारा मांग की जाये और उसे प्राप्त किया जाये ;

(ड) रीति जिस के अनुसार और शर्त जिनके अधीन संस्थान के अधिकारियों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन और भविष्य निधि का गठन किया जा सकता है;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा बनायी जायेगी, और इस प्रकार बनायी गयी किसी विनियमावली में संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन या उसे विखंडित किया जा सकता है।

निरसन और अपवाद

42-(1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (द्वितीय) आध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1983

THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 1983

[U.P. Act no. 30 of 1983]

No. 2906(2)/XVII-V--1-1(Ka)-29-82

Dated Lucknow, October 13, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanjay Gandhi Snatakottar Ayur Vigyan Sansthan Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 12, 1983.

An Act to provide for the establishment of the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences at Lucknow in Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences Act, 1983.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) Sections 4 and 18 shall come into force at once and the remaining provisions of the Act shall be deemed to have come into force on October 18, 1982.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) "Director" means the Director of the institute appointed under section 12;

(b) "Fund" means the Fund of the Institute referred to in section 24;

(c) " Governing Body" means the Governing Body of the Institute constituted under section 18;

(d) "Institute" means the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences established under section 3;

(e) "Member" means a member of the Institute;

(f) "President" means the President of the Institute referred to in section 11;

(g) "Regulation" means a regulation made by the Institute under this Act;

(h) "Rule" means a rule made by the State Government under this Act;

(i) "teacher" includes a Professor, Associate Professor, Assistant Professor or any person appointed under this Act for the conduct of teaching or research work or imparting medical education in the Institute.

Establishment of the Institute

3. (1) With effect from such date, as the State Government may notify in this behalf, there shall be established at Lucknow an Institute of Medical Sciences, to be known as the Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.

(2) The Institute shall be a body corporate and shall function as a University established under a State Act

Composition of the Institute

4. (1) The Institute shall consist of the following members, namely--

(a) the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh, - ***ex-officio;***

(b) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh, - ***ex-officio;***

(c) the Director of Medical Education, Uttar Pradesh, ***ex-officio;***

(d) the Director of the Institute, -ex-officio; ***ex-officio;***

(e) the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department,- ***ex-officio;***

(f) seven persons having special knowledge or practical experience in or engaged in the pursuit of social science, scientific or technical education or research, to be nominated by the State Government;

(g) three representatives of the medical faculties of State Universities to be nominated by the State Government in the manner prescribed;

(h) three members of the State Legislature, of whom two shall be elected from amongst themselves by the members of the Legislative Assembly and one shall be elected from amongst themselves by the members of the Legislative Council;

(i) one member of Parliament from amongst those elected to the Council of States or the House of the People from Uttar Pradesh to be nominated by the State Government;

(j) one representative of the Ministry of Health of Government of India to be nominated by that Government;

(k) one representative of the Unversity Grants Commission to be nominated by the Government of India;

(l) two educationists of eminence to be nominated by the State Government;

(m) four persons from amongst the teachers of the Institute to be nominated by the State Government to represent the faculties of the Institute.

(2) Out of seven persons to be nominated under clause (f) of sub-section (1), five persons including four medical experts shall be nominated by the State Government out of a panel to be prepared by a Committee consisting of the following persons:-

(ii) the President of the National Academy of Medical Sciences;

(iii) the President of the Indian Academy of Sciences, Bangalore;

(iv) the President of the National Academy of Sciences, Allahabad;

(v) the President of the Medical Council of India;

(vi) Director of a National Institute of Medical Sciences, to be nominated by the State Government;

(vii) Director-General of the Council of Scientific and Industrial Research or his nominee;

(viii) Director, Indian Council of Medical Research;

(ix) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Medical, Health and Family Welfare (Convener).

(3) The panel prepared by the Committee under sub-section (2) shall consist of not less than fifteen persons of whom at least eight persons shall be medical experts and it shall be revised every two years.

Term of office and vacancies among members.

5. (1) Save as otherwise provided in this section, the term of a member, other than an ex-officio member, shall be five years from the date of nomination or election, as the case may be.

(2) The term of office of a member elected under clause (h) or nominated under clause (i) of section 4 shall come to an end as soon as he ceases to be a member of the House of the State Legislature from which he was elected or a member of Parliament, as the case may be.

(3) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds office by virtue of which he is such a member.

(4) The term of office of a member nominated or elected to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of a member in whose place he is nominated or elected.

(5) An outgoing member other than a member elected under clause (h) or nominated under clause (i) of section 4 shall, unless the State Government directs, otherwise continue in office, until another person is nominated as a member in his place.

(6) An outgoing member shall be eligible for re-nomination or re-election.

(7) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by that Government.

(8) The manner of filling vacancies among members shall be such as may be prescribed.

Meetings of the Institute

6. The Institute shall meet at such time and place, as the President may from time to time determine, and observe such procedure in regard to the transaction of business at such meetings as may be laid down in the regulations;

Provided that the Institute shall meet at least once in every year;

Provided further that the Institute shall observe at its first meeting such procedure in regard to the transaction of business as the State Government may, by order, specify.

Objects of the Institute

7. The objects of the Institute shall be--

(a) to create a centre of excellence for providing medical care, educational and research facilities of high order in the field of medical sciences in the existing super-specialities and such others, as may emerge in future, including continuing medical education;

(b) to develop patterns of teaching in post-graduate medical education in super-specialities so as to set a high standard of medical education;

(c) to provide for training in para-medical and allied fields, particularly in relation to super-specialities.

Functions of the Institute

8. With a view to promoting the objects specified in section 7, the Institute may, subject to the provisions of this Act,--

(a) function as a referreal hospital,

(b) provide for post-graduate teaching and conduct of research in the relevant disciplines of modern medicine and other allied sciences, including inter-disciplinary fields of physical and biological sciences;

(c) conduct experiments in new methods of medical education, in order to arrive at satisfactory standards of such education;

(d) prescribe courses and curricula for post-graduate studies;

(e) give training to teachers for imparting medical educations;

(f) hold examinations and grant such degrees, diplomas or other academic distinctions and titles in post-graduate medical education as may be laid down in the regulations;

(g) receive grants from the Government and gifts, donations, benefacions, bequests and transfers of properties, both movable and immovable, from donors, benefactors, testators or transferors, as the case may be;

(h) deal with property belonging to, or vested in, the Institute in any manner which is considered necessary or promoting the objects specified in section 7;

(i) demand and receive such fees as may be laid down in the regulations;

(j) co-operate with other Institutions in conduct of research and higher education in medical field;

(k) take decisions on questions of Policy relating to the administration of the affairs and working of the Institute;

(l) may cause to be employed in accordance with this Act such officers, teachers and other employees as are necessary for carrying out the functions of the Institute;

(m) do all such other acts and things as may be necessary to further the objects of the Institute.

Officers of the Institute

9. The following shall be the officers of the Institute, namely:-

(a) the Visitor,

(b) the President,

(c) the Director,

(d) the Dean,

(e) the Finance Officer,

(f) the Executive Registrar,

(g) such other persons as may be specified in the rules to be officers of the Institute.

Visitor

10. (1) The Governor of Uttar Pradesh shall be the Visitor of the Institute.

(2) The Visitor shall, after every five years, cause to be reviewed the progress of the Institute in such manner as he thinks fit.

(3) Upon reviewing progress of the Institute, the Visitor may make a reference to the State Government for taking action under section 34 or may, subject to the provisions of this Act, issue such directions, as he considers necessary, and the Institute shall be bound to comply with such directions.

(4) Without prejudice to the foregoing provisions of this section but subject to the provisions of section 36, the Visitor, may, by order in writing, annul any proceedings of the Institute which is not is conformity with this Act or the rules or regulations made thereunder:

Provided that before making any such order, he shall call upon the Institute to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within such reasonable time, as may be allowed therefor, shall consider the same.

President

11. (1) The Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh shall be President of the Institute and shall also be Chairman of the Governing Body.

(2) The President shall, when present, preside at the meetings of the Institute and shall have the following powers and duties, namely-

(a) to ensure that the administration of the affairs of the Institute are conducted in accordance with this Act and the rules and regulations made thereunder and to take such steps, as he deems fit, for the achievement of this object;

(b) to call for such information or records relating to the administration of the affairs of the Institute, as he thinks fit;

(c) to exercise such other powers and perform such other duties as are assigned to him by this Act or as may be prescribed by rules or laid down in the regulations.

Director

12. (1) There shall be a Director of the Institute who shall be appointed by the Visitor on the recommendation of a committee consisting of the following members, namely:-

(a) the President of the Institute;

(b) one person who is a Judge of the High Court at Allahabad to be nominated by the Chief Justice thereof;

(c) one person to be nominated by the Visitor, who shall also be the Convener of the committee.

(2) The committee constituted under sub-section (1) shall have as Advisors two medical experts to be nominated by the Visitor.

(3) Whenever a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Director, the committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (1) shall prepare a panel of names of three persons who are in its opinion suitable to hold the said office.

(4) The committee shall forward to the Visitor, the panel of names prepared by it, together with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons included in such panel, but shall not indicate any order of preference.

(5) The Visitor shall appoint the Director out of the panel of names submitted to him under sub-section (4).

(6) Notwithstanding anything in sub-sections (1) to (5), the first Director of the Institute shall be appointed by the State Government and he shall hold office until a Director is appointed in accordance with sub-sections (1) to (5).

(7) Where a vacancy in the office of Director occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5) or there is any other emergency, the Visitor may appoint any suitable person to be the Director and may, from time to time, extend the term of an appointment under this sub-section, so, however, that the total term of such appointment, including the term fixed in the original order, does not exceed one year.

(8) The conditions of service of the Director, including salary, allowances, leave, pension and provident fund, admissible to him, shall be such as may be prescribed, and until so prescribed shall be determined by the State Government.

Powers and duties of the Director

13. (1) The Director shall be the Vice-Chairman of the Governing Body and shall be the Chief Executive and Academic Officer of the Institute. He shall preside over the meetings of the Governing Body in the absence of the President.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Director shall-

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the Institute;

(b) ensure implementation of the decisions of the authorities of the Institute;

(c) be responsible for the imparting of instruction and maintenance of discipline in the Institute.

(3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or authority or other body of the Institute, empowered by or under this Act to deal with it, the Director may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Visitor and also to the officer, authority or other body who or which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such officer, authtority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken by the Director, it may refer the matter to the Visitor who may either confirm the action taken by the Director or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit, and thereupon it shall cease to have effect or , as the case may be, shall take effect in the modified form:

Provided further that such annulment or modification, as is referred to in the last preceding proviso shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Director.

(4) Where the exercise of the power by the Director under sub-section (3) involves the appointment of any person, such appointment shall terminate on the appointment being made in accordance with the provisions of this Act or on the expiration of a period of two months from the date of the order of the Director, whichever is earlier.

(5) The Director shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or as may be delegated to him by the Institute or the President or the Governing Body.

Appointment of Dean

14. (1) There shall be a Dean of the institute who shall be appointed by the Governing Body from amongst the Professors of the Institute.

(2) The Dean shall assist the Director in academic affairs of the Institute and shall exercise such powers and perform such functions as may be laid down in the regulations.

Finance Officer

15. (1) There shall be a Finance Officer for the Institute, who shall be appointed by the State Government, and his remuneration and allowances, if any, shall be paid by the Institute.

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget and statement of accounts to the Governing Body.

(3) The Finance Officer shall have the duty-

(a) to ensure that no expenditutre not authorised in the budget is incurred by the Institute;

(b) to disallow any proposed expenditute which may contravene the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularity pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the Institute are duly preserved and managed.

(4) The Finance Officer may require the production of such records and documents of the Institute and the furnishing of such information pertaining to its affairs, as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(5) All contracts shall be executed and signed by the Finance Officer on behalf of the Institute.

(6) The Finance Officer shall have such other powers and functions as may be prescribed.

(7) The Finance Officer shall be subject to the administrative control of the Director.

Executive Registrar

16. (1) The Executive Registrar shall be appointed by the Institute in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Executive Registrar shall have the following powers and duties, namely--

(a) he shall act as the Secretary of the Institute and the Governing Body;

(b) he shall be responsible for the custody of records and the common seal of the Institute;

(c) he shall be bound to place before the Institute and the Governing Body and the authoritites of the Insitute all such information as may be necessary for the transaction of their business;

(d) he shall, subject to the control of the Director, conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(3) The Executive Register shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or as may be delegated to him by the Institute, President, Director or Governing Body.

(4) The Executive Registrar shall be responsible to the Director for the proper discharge of his functions.

Authorities of the Institute

17. The following shall be the authorities of the Institute, namely--

(a) Governing Body;

(b) Academic Board;

(c) Finance Committee;

(d) Selection Committee for appointment of Professors and Heads of Departments of the Institute;

(e) Selection Committee for appointment of teachers other than those specified in clause (d);

(f) such other authorities as may be specified in the rules to be authorities of the Institute.

Governing Body

18. (1) The Governing Body shall consist of the following persons, namely:-

(a) the President;

(b) the Director;

(c) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Medical, Health and Family Welfare, ***ex-officio*** ;

(d) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Finance Department, ***ex-officio*** ;

(e) Director of Medical Education, Uttar Prades, ***ex-offcio*** ;

(f) two Principals from amongst the Principals of the State Medical Colleges in Uttar Pradesh in rotation to be nominated by the State Government;

(g) two persons being Heads of Departments in the Institute to be nominated in rotation in the prescribed manner;

(h) two persons from amongst the teachers of the Institute to be selected in the prescribed manner;

(i) two persons to be nominated by the Visitor.

(2) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.

(3) The term of office of any member nominated under clause (f) or clause (g) or clause (i) of sub-section (1) shall be three years from the date of his nomination.

(4) The term of office of a member under clause (h) of sub-section (1) shall be two years from the first day of January of the year in which he is elected.

(5) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act, a member nominated under this section shall continue in office until another person is nominated as a member in his place.